

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 01, शुक्रवार, शाके 1947- फरवरी 20, 2026 Phalguna 01, Friday, Saka 1947- February 20, 2026	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 17, 2026

जी.एस.आर.140 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (राज्य विशेष शाखा, राजस्थान की विशेष सुरक्षा विंग में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (राज्य विशेष शाखा, राजस्थान की विशेष सुरक्षा विंग में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 01.04.2025 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान सिविल सेवा (राज्य विशेष शाखा, राजस्थान की विशेष सुरक्षा विंग में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012 से संलग्न अनुसूची-II की शर्त 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “15%” के स्थान पर अभिव्यक्ति “25%” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ 5(2)डीओपी/ए-11/2012 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

डॉ. मुकुट बिहारी जांगिड़

संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 17, 2026

G.S.R.140 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and section 20 of the Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007), the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the *Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Persons in the Special Security Wing of State Special Branch, Rajasthan) Rules, 2012*, namely:

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the *Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Persons in the Special Security Wing of State Special Branch, Rajasthan) (Amendment) Rules, 2026*.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01-04-2025.

2. Amendment of Schedule-II.- In condition 2 of Schedule-II appended to the *Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Persons in the Special Security Wing of State Special Branch, Rajasthan) Rules, 2012*, for the existing expression "15%", the expression " 25%" shall be substituted.

[No. F. 5(2) DOP/A-2/2012 pt.]
By order and in the name of the Governor,
DR. MUKUT BIHARI JANGID,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.